राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 4(21) ग्रावि / VC / अनु–8 / वीसी / 2022 जयपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 2022
20.09.2022

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.2022 को मुख्य कार्यकारी अधिकारियो के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में शासन सचिव महोदय ग्रामीण विकास, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा तथा राज्य स्तरीय योजना प्रभारी उपस्थित रहे।

महात्मा गांधी नरेगा

आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा योजना क्रियान्वयन से संबंधित एजेण्डा बिन्दुओं का जिलेवार प्रस्तुतीकरण किया गया तथा बिन्दुवार गत वीसी से प्रगति की तुलना करते हुये कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये :–

1. अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करवाया जाना :–
   वर्ष 2020–21 तक के अपूर्ण कार्यो की पंचायतवार समीक्षा कर प्राथमिकता से पूर्ण करवाया जावे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ जिलों के अपूर्ण कार्यो की संख्या प्रारम्भ दिनांक गलत दर्ज करने के कारण गत वीसी में प्रदर्शित अपूर्ण कार्यो से अधिक है। अतः कार्यो की प्रारम्भ दिनांक में संशोधन कर वास्तविक दिनांक दर्ज करावें।
2. व्यक्तिगत लाभ के कार्य :–
   राज्य में कुल स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध व्यक्तिगत लाभ (पीएमएवाई – जी के अतिरिक्त) के कार्य 45 प्रतिशत स्वीकृत किये गये है। जिलों द्वारा ग्रामीणों की मांग अनुसार अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत कर क्रियान्वित किये जाने के प्रयास किये जावे। पंचायत समितिवार समीक्षा कर जिन पंचायत समितियों / ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत नहीं है अथवा कम है वहां समस्त पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जावे।.
3. अमृत सरोवर अभियान :–
   ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 अगस्त, 2023 तक अमृत सरोवर के समस्त कार्यो को पूर्ण कराया जाना है। अमृत सरोवर पोर्टल पर प्कमदजपपिमक कार्य एवं वदहवपदह कार्यों का जिला स्तर पर परीक्षण कर कार्यो को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करावें। अमृत सरोवर कार्यो की निरीक्षण / क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सघन समीक्षा कर जन–उपयोगी कार्य सुनिश्चित करावें।
   पोर्टल पर जो कार्य गलत Identified है, उन्हें पोर्टल से डिलिट कराने हेतु सूची तैयार कर गूगल शीट पर अपलोड करवाया जावे।
4. पंचशाला :–
   पंचशाला संबंधित कार्यो की उपयोगिता सुनिश्चित करते हुये निर्धारित लक्ष्यानुसार स्वीकृत किये जावे शून्य प्रगति वाले जिले द्वारा दिनांक 20.09.2022 तक कार्यो को स्वीकृत किया जावे। समस्त जिलों द्वारा प्रगति नियमित रूप से गूगल स्प्रैडशीट में अपडेट किया जाना सुनिश्चित करावें।
5. फलदार पौधारोपण (व्यक्तिगत लाभ के कार्य) :–
   जिलों में निर्धारित लक्ष्यानुसार व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर अधिकाधिक फलदार वृक्षारोपण करवाये जाने हेतु विशेष प्रयाय किये जावे तथा 30.09.2022 तक शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करावें।

6. वृक्षारोपण कार्य (सार्वजनिक भूमि पर) :–
जिले में अमृत सरोवर संरचनाओं, चारागाह भूमि, राजकीय परिसर, सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रगति गूगल शीट पर अपडेट करावें व गत वर्ष के लक्ष्यों के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करावें। शून्य प्रगति वाले जिलों द्वारा आगामी सप्ताह तक प्रगति सुनिश्चित करावें।
7. ग्रामीण क्षेत्र में उद्यान (Park) विकास कार्य :–
उद्यान विकास हेतु प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 उद्यान विकसित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में पंचायत समितिवार समीक्षा कर शत–प्रतिशत स्वीकृतियां दिनांक 20.09.2022 तक जारी की जाकर कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. फार्म पौण्ड टांका / डिग्गी निर्माण कार्य :–
जिलेवार आवंटित कुल लक्ष्यों के अनुसार क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार कार्य स्वीकृत कर कियान्वयन कराया जावे। यदि लक्ष्यों में संशोधन आवश्यक हो तो इस कार्यालय को 3 दिवस में कारण सहित सूचित किया जावे।
9. 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या :–
जिले में जिन परिवारों द्वारा 70 से अधिक मानव दिवस सृजित कर लिये गये है। उन पर विशेष ध्यान देते हुए 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि अधिक से अधिक श्रमिक, इस वित्तीय वर्ष की राज्य बजट घोषणा (125 रोजगार दिवस) अनुसार 25 दिवसों के अतिरिक्त रोजगार से लाभान्वित हो सकें।
10. एरिया ऑफिसर निरीक्षण की प्रगति :–
योजनान्तर्गत डीपीसी, एडीपीसी एवं विकास अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार निरीक्षण कर एरिया ऑफिसर ऐप पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
11. वित्तीय वर्ष 2021–22 की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट की स्थिति :–
समस्त जिलों द्वारा सी.ए.ऑडिट रिपोर्ट चैक कर वेबसाईट पर अपलोड करते हुये टिप्पणी सहित मुख्यालय पर दिनांक 20.09.2022 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
12. 15वीं विधानसभा के लम्बित प्रश्न, आश्वासन एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :–
जिलो से लम्बित विधानसभा प्रश्न, आश्वासन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लम्बित प्रश्नों के प्रतिउत्तर तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
13. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (CM-REGS) :–
राजस्थान में अतिरिक्त 25 दिवस के रोजगार हेतु श्रमिक नियोजन के संबंध में वार्षिक कार्य योजना (वर्ष 2022–23) तैयार करने हेतु पत्र दिनांक 12.09.2022 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
14. गुड़ गवर्नेन्स :–
जॉब कार्ड का अपडेशन, प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निर्धारित 7 रजिस्टर एवं मेट रजिस्टर (चयन, नियोजन एवं रोटेशन आदि हेतु) का संधारण, प्रत्येक कार्य स्थल पर तथा ग्राम पंचायत में कार्य की पत्रावली का संधारण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।
15. आधार कार्ड सीडिंग :–
समस्त जिलों द्वारा योजनान्तर्गत जॉबकार्डधारी सक्रिय श्रमिकों के आधार नम्बर की फीडिंग हेतु विशेष प्रयास किये जावे।
16. सामाजिक अंकेक्षण:–
ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित सामाजिक अंकेक्षण हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करावें।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

1 गत वीसी दिनांक 30.08.22 को वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक स्वीकृत आवासों में से प्रगतिरत 59402 आवासों मे से गत 15 दिवस में मात्र 1857 आवास ही पूर्ण कराये गये है, जिला दौसा, झुझुनू एवं राजसमन्द में शून्य तथा जिला सीकर, धौलपुर, जयपुर, बून्दी, पाली, चुरू, नागौर, डूगंरपुर एवं बांरा द्वारा 10 से कम आवास पूर्ण कराये गये है। उक्त प्रगति जिलों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही को परिलक्षित करता है।

शासन सचिव महोदया द्वारा जिलों को विवादित आवासो को छोड कर शेष प्रगतिरत आवासो को 30 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण कराने की कार्य योजना विभाग को तीन दिवस में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त संबंध में पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों को प्रतिदिन आवास पूर्ण कराने का दायित्व दिया जाकर प्रगतिरत आवासों को पूर्ण करावे।

2 वर्ष 2021–22 में स्वीकृत आवासों में दिनांक 30.08.22 से 14.09.22 (15 दिवस) मे मात्र 89778 आवासों में से मात्र 5989 आवासों को ही बकाया द्वितीय किश्त जारी की गई। वर्तमान में 83789 आवासों को द्वितीय किश्त जारी होना शेष है, इन आवासों का पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों से निरीक्षण कराकर 7 दिवस में लम्बित द्वितीय किश्त जारी करावे।

3 अब तक पूर्ण 13.65 लाख आवासों में से मात्र 8.21 लाख आवासों की आवास सॉफ्ट पर कनवर्जेन्स तहत शौचालय की सूचना अपलोड/प्रदर्शित है। उक्त संबंध में समस्त पूर्ण आवासों में शौचालय की सूचना "आवास सॉफ्ट" पर अपलोड कराने एवं शौचालय सुविधा विहीन आवासों को नियमानुसार शौचालय निर्मित कराकर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना

1. योजनान्तर्गत 31 मार्च 2022 को रूर्बन साफ्ट पर प्रदर्शित 629 प्रगतिरत कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु योजना मद से राशि व्यय नहीं की जावे। प्रदर्शित दायित्व राशि के बराबर ही व्यय करने एवं कोई भी नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. रूर्बन सॉफ्ट पर प्रदर्शित शून्य व्यय राशि वाले स्वीकृत अप्रारम्भ 81 कार्यों को निरस्त करने के निर्देशों की गत बैठक दिनांक 29.08.2022 में समीक्षा उपरान्त जिला योजना प्रभारियों अनुसार राशि रूपये 771.16 लाख के 68 अप्रारम्भ कार्य/ निरस्त करने बाबत अवगत कराया गया था। उक्त संबंध में समीक्षा कर रूर्बन साफ्ट पर प्रदर्शित नहीं कार्यो की पुनः कार्यवार समीक्षा कर अप्रारम्भ कार्यों को अविलम्ब निरस्त कर विभाग को सूचित करे।

3. प्रगतिरत /पूर्ण कार्यो की प्रगति नियमित रूप से रूर्बन सॉफ्ट पर अपलोड करने के विभागीय निर्देशों के उपरान्त भी 342 प्रगतिरत कार्यों की राशि रू. 2538.57 लाख तथा 150 पूर्ण कार्यों की राशि रू. 829.01 लाख का दायित्व की सूचना गत बैठक दिनांक 29.8.22 में प्रेषित की गई। उक्त संबंध में भारत सरकार द्वारा रूर्बन सॉफ्ट पर प्रदर्शित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु कोई राशि व्यय नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया । बैठक में विभागीय निर्देशों के उपरान्त प्रगतिरत /पूर्ण कार्यो की प्रगति रूर्बन सॉफ्ट पर अपलोड नहीं करने हेतु संबंधित उत्तरदायी अधिकारी/कार्मिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही कर विभाग को अवगत कराया जावे।

4. योजनान्तर्गत अनुमोदित डीपीआर के वह कार्य, जो कि दिनांक 31.03.2022 को रूर्बन सॉफ्ट पर प्रदर्शित नहीं किये गये है के क्रम में भारत सरकार द्वारा रूर्बन सॉफ्ट पर प्रदर्शित प्रगतिरत कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के भुगतान नहीं करने के निर्देश है। भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना मद से इन कार्यो हेतु कोई राशि जारी /व्यय नहीं की जावे। ऐसे प्रगतिरत /पूर्ण कार्यों हेतु अन्य विभागीय योजनाओं के दिशा–निर्देशानुसार देय भुगतान किये जाने के संबंध में समीक्षा कर नियमानुसार कार्यवाही करे।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1. जिलों को सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों से अवगत कराया गया कि बीएडीपी योजना दिनांक–30.09.2022 तक ही जारी रहेगी। योजना की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलों को निर्देशित किया गया कि संबंधित लाईन विभागों के साथ समीक्षा करते हुए समस्त 249 प्रगतिरत कार्यों को यथाशीध्र पूर्ण कराया जाकर अविलंब शत प्रतिशत राशि का समायोजन कर निम्नानुसार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–20.09.2022 से पूर्व प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

SN	Name of District	Sanctioned Works	Complete Works	Under Progress	Pending UC
1	2	3	4	5	6
1	Barmer	1097	1013	84*	363.98
2	Bikaner	1015	960	55	825.64
3	Ganganagar	2232	2197	35	1235.29
4	Jaisalmer	1937	1862	75	1217.17
Total		6281	6032	249	3642.08

2. जिलों द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के संबंध में निवेदन किया कि दिनांक– 30.09.22 तक राशि 1900.97 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये जावेंगे एवं दिनांक–30.09.22 के उपरांत 642.58 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जावेंगे इसके साथ ही जिलों ने यह भी अवगत कराया कि राशि– 1098.53 लाख बचत राशि है जिसका समायोजन संभव नहीं है। उक्त का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है।

जिलें का नाम	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि (लाखों में)	दिनांक 30.09.2022 तक भिजवाये जा सकने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	दिनांक 30.09.2022 के पश्चात भिजवाये जा सकने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	बचत राशि जिसका समायोजन सम्भव नहीं है।
1	2	3	4	5
बाड़मेर	363.98	239.90	78.97	45.11
बीकानेर	825.64	524.41	298.53	2.70
गंगानगर	1235.29	158.84	176.45	900.00
जैसलमेर	1217.17	977.82	88.63	150.72
योग	3642.08	1900.97	642.58	1098.53

3. इस संबंध में शासन सचिव महोदया द्वारा समस्त जिलों को निर्देशित किया कि जिन कार्यों को विभिन्न कारणों (विधिक प्रकरण/एसीबी प्रकरण/आक्षेप इत्यादि) से पूर्ण नहीं कराया जा

सकता है उन्हें सूचीबद्ध किया जाकर समीक्षा करते हुए उन्हें पूर्ण किये जाने की संभावनाऐं तलाशी जावें एवं अधिकाधिक कार्यों को पूर्ण कराते हुए विभाग को तत्काल अवगत कराया जावे।

4. श्रीगंगानगर जिले द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत एक स्टेडियम निर्माण कार्य की रिपोर्ट के संबंध मे मुख्यालय के अधिकारी द्वारा जिला गंगानगर का भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है इस पर शासन सचिव महोदया द्वारा संबंधित अधिकारी को इसी सप्ताह में श्रीगंगानगर भ्रमण के निर्देश प्रदान किये।

5. मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये कि जिन जिलों द्वारा योजनांतर्गत वार्षिक कार्य योजना प्रेषित नहीं की है उनके द्वारा यथाशीध्र कार्य योजना तैयार की जावे। एवं कार्य योजना तैयार करने में आवंटन राशि के अनुसार ही प्रस्ताव राज्य स्तर पर भिजवायें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(बी.एल.वर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव,
(मो. एवं मू.)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/अनु–8/वीसी/2022 जयपुर, दिनांक :– 20.09.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6 जिला कलक्टर समस्त।
7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
8 परि. निदे. एवं शासन उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
9 परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, (एसएपी/मो0एवंमू0), ग्रामीण विकास।
10 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
11 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)